Supportive Supervision Vehicle Hiring-Block wise Information 2017-18

Sr. No.	Name of Division	Name of District	Block Name	Vehicle No-1
1	2	3	4	5
1	Faizabad	Sultanpur	P.P. Kamaicha	UP44 AC/3026
2			Lambhua	UP 44 X/9333
3			Bhadaiya	UP44 T/9023
4			Dubepur	UP44 AT/0258
5			Baldirai	UP44 V/6212
6			Dhanpatganj	UP44 AF/2724
7			Kurwar	UP 44T9987
8			Kadipur	UP70 CT/5142
9			Akhandnagar	UP70 ET/3789
10			Kurebhar	UP42 AT/4888
11			Dostpur	UP50 BT/0818
12			Jaisinghpur	UP44 T/9590
13			Motigarpur	UP70 DT/9575

Supportive Supervision Vehicle Hiring-District Level Information 2016-17

Sr. No.	Name of District	No. of Vehicle allotted	No. of Vehicle Hired	Vehicle No-1
1	2	3	4	5
1	Sultanpur	2	1	UP44 T/7858 DM office Attached

updated

for मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सुलतानपुर

(57)

भारतीय गैर न्यायिक

02 AUG 2016

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DB 788576

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष	मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुलतानपुर सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद सुलतानपुर
द्वितीय पक्ष	मेसर्स आशुतोष इन्टर प्राईजेज अम्बेडकर मार्केट नियर विकास भवन जिला सुलतानपुर (सेवा प्रदाता)।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति जनपद सुलतानपुर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु वाहन के सम्बन्ध में आज दिनांक 12.08.2016 को जनपद सुलतानपुर में सम्पादित किया जा रहा है। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 16.08.2016 से 31.03.2017 अथवा अगली निविदा तक के लिए होगी।

13. यह कि द्वितीय पक्ष जिला सुलतानपुर के विकास खण्ड **पी0पी0कमैचा, लम्भुआ, भदैया, दूबेपुर, बल्दीराय, धनपतगंज**, में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम हेतु एक वाहन तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य हेतु दो वाहन एवं **मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय** हेतु एक वाहन तथा सामु0स्वा0केन्द्र **कुड़वार** हेतु एक वाहन की आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(क) सेवा प्रदाता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमोदित निविदा में अंकित वाहनों के अनुसार वाहन उपलब्ध करायेगा जिस हेतु प्रथम पक्ष रू0 30000/– रू0 तीस हजार प्रतिमाह की दर से प्रति वाहन सेवा प्रदाता एजेन्सी को सम्बन्धित सी0एच0एसी0/पी0एच0सी0 के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के उपलब्ध कराये गये कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान करेगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता होनी चाहिए।

- वाहन पंजीकृत एवं टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है। सेवा प्रदाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन का माडल वर्ष 2014 से अधिक पुराना नही होना चाहिएं।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा, गैस चालित वाहन स्वीकार नही किया जायेगा।
- किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार(सेवा प्रदाता) व बीमा कम्पनी द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स कम्पनी की होगी।

(ग) वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

(घ) वाहन के संचालन (वाहन चालक की मजदूरी) एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

(च) वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध

कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 1000/– प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 20000/– की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
3. प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिए गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म के देयक का भुगतान रोका जा सकता है। द्वितीय पक्ष प्रत्येक दिन प्रातः 9:00 बजे (सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र पर पहुचने पर) वाहन का किमी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में नोट किया जायेगा तथा उसी समय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा। इस रीडिंग को सायंकाल 6 बजे के बाद वापस आने का किमी पुनः लाग बुक पर नोट कर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा।
4. द्वितीय पक्ष को वाहन चलाने वाले चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को नोट कराना होगा, तथा सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये वाहन/चालक की सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी।
5. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य ईकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय को लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
6. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें ऐसा पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
7. एजेन्सी को आवंटित ईकाई पर प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने पर नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा ब्लाक चिकित्सा इकाई पर माह मे कम से कम 25 कार्यदिवस वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तदोपरान्त सम्बन्धित अधीक्षक को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण वाहन सं0 के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
9. विभिन्न स्वास्थ कार्यकमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवाहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों का मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकेगा एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिवस की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा, तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–सुलतानपुर।
दिनांक 12.08.2016

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य सोसाइटी
सुलतानपुर।(प्रथम पक्ष)

आनन्द
हस्ताक्षर
सेवा प्रदाता(द्वितीय पक्ष)

गवाह
1. तेज बहादुर अमहट सुलतानपुर
2. कमला पान्डेय 9936024436 गुरेगाँव पो0 बघाउमिनपुर सुलतानपुर 9415094126

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

18 JUL 2016

19 JUL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 784629

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष — मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुलतानपुर सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद सुलतानपुर

द्वितीय पक्ष — मेसर्स आनन्द कुमार तिवारी, ग्राम गूरेगांव पो0 बहादीपुर जिला सुलतानपुर (सेवा प्रदाता)।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति जनपद सुलतानपुर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु वाहन के सम्बन्ध में आज दिनांक 12.08.2016 को जनपद सुलतानपुर मे सम्पादित किया जा रहा है। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 16.08.2016 से 31.03.2017 अथवा अगली निविदा तक के लिए होगी।

1. यह कि द्वितीय पक्ष जिला सुलतानपुर के विकास खण्ड **जयसिंहपुर, मोतिगरपुर**, में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम हेतु एक वाहन तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य हेतु दो वाहन की आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(क) सेवा प्रदाता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमोदित निविदा में अंकित वाहनों के अनुसार वाहन उपलब्ध करायेगा जिस हेतु प्रथम पक्ष रू0 30000/– रू0 तीस हजार प्रतिमाह की दर से प्रति वाहन सेवा प्रदाता एजेन्सी को सम्बन्धित सी0एच0एसी0/पी0एच0सी0 के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के उपलब्ध कराये गये कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान करेगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता होनी चाहिए।

- वाहन पंजीकृत एवं टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है। सेवा प्रदाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन का माडल वर्ष 2014 से अधिक पुराना नही होना चाहिएं।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा, गैस चालित वाहन स्वीकार नही किया जायेगा।
- किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार(सेवा प्रदाता) व बीमा कम्पनी द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्स्योरेन्स कम्पनी की होगी।

(ग) वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

(घ) वाहन के संचालन (वाहन चालक की मजदूरी) एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

(च) वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एव वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध

(50)

कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 1000/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 20000/- की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3. प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिए गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म के देयक का भुगतान रोका जा सकता है। द्वितीय पक्ष प्रत्येक दिन प्रातः 9:00 बजे (सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र पर पहुचने पर) वाहन का किमी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में नोट किया जायेगा तथा उसी समय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा। इस रीडिंग को सायंकाल 6 बजे के बाद वापस आने का किमी पुनः लाग बुक पर नोट कर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा।

4. द्वितीय पक्ष को वाहन चलाने वाले चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को नोट कराना होगा, तथा सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये वाहन/चालक की सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी।

5. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य ईकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय को लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

6. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे ऐसा पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

7. एजेन्सी को आवंटित ईकाई पर प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने पर नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा ब्लाक चिकित्सा इकाई पर माह मे कम से कम 25 कार्यदिवस वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तदोपरान्त सम्बन्धित अधीक्षक को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण वाहन सं0 के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवाहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों का मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकेगा एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिवस की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा, तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-सुलतानपुर।
दिनांक 12.08.2016

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य सोसाइटी
सुलतानपुर।(प्रथम पक्ष)

ममता सिंह

हस्ताक्षर
सेवा प्रदाता(द्वितीय पक्ष)

गवाह तेज बहादुर 9936024456
1. अमहट सुलतानपुर
2. आदित्य तिवारी 9936860477
ग्रा0 गुरेगाँव पो0 ... सुलतानपुर

3

DB 784628

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष	मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुलतानपुर सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद सुलतानपुर
द्वितीय पक्ष	मेसर्स ममता सिह, ग्राम गूरेगांव पो0 बहादीपुर जिला सुलतानपुर (सेवा प्रदाता)।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति जनपद सुलतानपुर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु वाहन के सम्बन्ध में आज दिनांक 12.08.2016 को जनपद सुलतानपुर में सम्पादित किया जा रहा है। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 16.08.2016 से 31.03.2017 अथवा अगली निविदा तक के लिए होगी।

25. यह कि द्वितीय पक्ष जिला सुलतानपुर के विकास खण्ड **अखण्डनगर, दोस्तपुर, कादीपुर, कूरेभार, कुडवार,** में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम हेतु एक वाहन तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य हेतु दो वाहन की आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(क) सेवा प्रदाता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमोदित निविदा में अंकित वाहनों के अनुसार वाहन उपलब्ध करायेगा जिस हेतु प्रथम पक्ष रू0 30000/– रू0 तीस हजार प्रतिमाह की दर से प्रति वाहन सेवा प्रदाता एजेन्सी को सम्बन्धित सी0एच0एसी0/पी0एच0सी0 के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के उपलब्ध कराये गये कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान करेगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता होनी चाहिए।

- वाहन पंजीकृत एवं टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है। सेवा प्रदाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन का माडल वर्ष 2014 से अधिक पुराना नही होना चाहिएं।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा, गैस चालित वाहन स्वीकार नही किया जायेगा।
- किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एव उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार(सेवा प्रदाता) व बीमा कम्पनी द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स कम्पनी की होगी।

(ग) वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

(घ) वाहन के संचालन (वाहन चालक की मजदूरी) एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

(च) वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध

कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति मे प्रथम पक्ष को रू0 1000/– प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 20000/– की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3. प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिए गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म के देयक का भुगतान रोका जा सकता है। द्वितीय पक्ष प्रत्येक दिन प्रातः 9:00 बजे (सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र पर पहुचने पर) वाहन का किमी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में नोट किया जायेगा तथा उसी समय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा। इस रीडिंग को सायंकाल 6 बजे के बाद वापस आने का किमी पुनः लाग बुक पर नोट कर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा।

4. द्वितीय पक्ष को वाहन चलाने वाले चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को नोट कराना होगा, तथा सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये वाहन/चालक की सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी।

5. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य ईकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय को लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

6. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें ऐसा पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

7. एजेन्सी को आवंटित ईकाई पर प्रातः 9:00 बजे से साय 6:00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने पर नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा ब्लाक चिकित्सा इकाई पर माह मे कम से कम 25 कार्यदिवस वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तदोपरान्त सम्बन्धित अधीक्षक को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण वाहन सं0 के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ कार्यकमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवाहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों का मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति मे प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकेगा एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिवस की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा, तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–सुलतानपुर।
दिनांक 12.08.2016

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य सोसाइटी
सुलतानपुर।(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर
सेवा प्रदाता(द्वितीय पक्ष)

गवाह
1. उपमन्यु शर्मा S/O श्री रामआसरे शर्मा योगाश्रम आश्रम - अमहट - सुलतानपुर 9450784981
2. अजीत सिंह 9415046173 गुरेगांव सुलतानपुर